न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 26/2017 RCMS Case No. 2017/00138

राजस्व अपील संख्या : 34/2017 RCMS Case No. 2017/00328

राजस्व अपील संख्या : 35/2017 RCMS Case No. 2017/00332

राजस्व अपील संख्या : 36/2017 RCMS Case No. 2017/00330

राजस्व अपील संख्या : 37/2017 RCMS Case No. 2017/00352

राजस्व अपील संख्या : 38/2017 RCMS Case No. 2017/00353

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 मुन्नाकंवर पत्नी मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बोलागुडा तहसील रानी जिला पाली		राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार रानी
2 जैताराम पुत्र कूपाराम जाति देवासी निवासी खारड़ा तहसील रानी जिला पाली		
3 शिवलाल पुत्र भोलाराम जाति देवासी निवासी भादरलाउ तहसील रानी जिला पाली		
4 उमाराम पुत्र देवाराम जाति देवासी निवासी जवाली तहसील रानी जिला पाली		
5 रामलाल पुत्र चेनाजी जाति घांची निवासी भादरलाउ तहसील रानी		
6 मोहनलाल पुत्र गणपतलाल जाति घांची निवासी इन्दरवाडा तहसील रानी जिला पाली		

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट संख्या 1 से 4
2. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट संख्या 5 व 6
3. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक 31/01/2019

अति० जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या 907/2015 सरकार बनाम मुन्नाकंवर, 895/2015 सरकार बनाम जैताराम, 894/2015 सरकार बनाम शिवलाल, 898/2015 बअनवान सरकार बनाम उमाराम, 899/2015 सरकार बनाम रामलाल तथा 897/2015 सरकार बनाम मोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। चूंकि प्रकरण में विवादित आराजी तथा विवाद विषय समान होने से समस्त अपीलों का समेकित रूप से निर्णय पारित किया जा रहा हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का भादरलाउ द्वारा नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम सोमेसर के खसरा नम्बर 78 रकबा 1.17 हैक्टेयर हैक्टेयर किस्म गै0मु0 सड़क में से पृथक पृथक रूप से अतिक्रमण किया है। इस पर नायब तहसीलदार रानी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स किसी भी रूप से सड़क की भूमि पर काबिज नहीं है, बल्कि जिस भूमि पर अपीलाण्ट्स काबिज है, वह भूमि अपीलाण्ट्स की खरीदसुदा पट्टासुदा भूमि है। इस कारण धारा 91 के तहत कार्यवाही आरम्भ से ही त्रुटीपूर्ण थी। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से उक्त पट्टो के सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त की गई, जो प्राप्त होने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर अपील विवादित आराजी किसी भी रूप में सड़क की भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर करीब 23 से भी अधिक दुकाने निर्मित है, इसी पंक्ति में पंचायत भवन भी निर्मित है। पट्टों में खसरा नम्बर का इन्द्राज नहीं होने के कारण पट्टो की वैधता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, उन साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट्स को होने पर उनके द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर अपने अधिवक्ता के परामर्श से यह अपील प्रस्तुत की है, जिसमें हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार कराते हुए अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार करावें एवं अपील स्वीकार कराते हुए जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

अति० जिला कलक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोमेसर के खसरा नम्बर 78 रकबा 1.17 हैक्टेयर हैक्टेयर किस्म गै0मु0 सड़क की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा कब्जा कर पक्का निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का भादरलाउ द्वारा नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर नायब तहसीलदार रानी द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 16.12.2016 को पारित किया गया है, अपीलाण्ट मुन्नाकंवर द्वारा परिसीमित समयावधि में अपील प्रस्तुत की, शेष अपीलाण्ट्स द्वारा जैर अपील निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 25.10.2017 को दायर हुई है, जो निर्णय/आदेश पारित होने के 10 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात दायर करवाई गई। इस अवधि को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में दर्शित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील आदेश अपीलाण्ट्स की उपस्थिति दर्शाते हुए पारित किया गया है। प्रकरण में सिलसिलेवार विधिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही होने के पश्चात दिनांक 16.12.2016 को अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्शाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 19.01.2017 को होना जाहिर किया तथा प्रतिलिपी दिनांक 15.09.2017 को प्राप्त होना बताते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने का अनुतोष चाहा हैं। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12 की उप–धारा 2 के में यह प्रावधित किया गया हैं कि "किसी अपील के लिए अथवा ऐसे आवेदन के लिए, जो अपील की इजाजत या पुनरीक्षण के, या किसी निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए हो, परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन, जिस दिन परिवादित निर्णय सुनाया गया था तथा उस डिक्री, दण्डादेश या आदेश की, जिसकी अपील की गई है या जिसका पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन इप्सित है, प्रतिलिपी अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।" इसमें प्रतिलिपी अभिप्राप्त करने के लिए "अपेक्षित समय" प्रयोग किया गया है, विधि में जो प्रतिलिपी प्राप्त करने के लिए राजस्थान राजस्व न्यायालय नियमावली, 1956 खण्ड II के अध्याय 9 के नियम 254 से 283 में प्रतिलिपी जारी करने के विस्तृत प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह की अवधि तक प्रतिलिपी प्रदान किए जाने के प्रावधान है। प्रकरण हाजा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 9 माह की अवधि के पश्चात प्रतिलिपी जारी की गई है, जो विधि विरूद्ध है। इसके

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए, अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया। जहां तक अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2013 (एस0सी0) पेज 829 में प्रतिपादित सिद्धान्त का मुख्य बिन्दु यह प्रकट किया गया है कि "(A) Court has no power to etend the period of limitation equitable grounds. (B) No Court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever" आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 1229 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "अपील पेश करने में 83 दिन का विलम्ब – आवेदन में कारण दर्शाये, जानकारी का अभाव का आधार मिथ्या है–भारत सरकार द्वारा न्यायालय शुल्क का प्रबन्ध करना, अच्छा आधार नहीं हैं–विलम्ब माफ करने का सही इन्कार किया।" आर0आर0टी0 2001 (1) पेज 226 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963, धारा 5–विलम्ब का परित्मार्जन–लगभग एक वर्ष पश्चात अपील पेश की–विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण प्रकट नहीं किया–भूमि में प्रार्थी का निहित अधिकार नहीं–अभिनिर्धारित, राजस्व अपील प्राधिकारी ने विलम्ब परिमार्जन में त्रुटी की है।" आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 801 में यह प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 विलम्ब का शमन–पर्याप्त कारण–अपील पेश करने में तीन दिन का विलम्ब–विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं किया–निर्णीत, आवेदन व अपील खारिज़ की।" आर0आर0टी0 2008 (2) पेज 1408 में यह प्रतिपादित किया कि – परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5–विलम्ब माफ किया जाना–निगरानी पेश करने में 7 माह का विलम्ब–निर्णय की जानकारी नहीं–निर्णय 22.01.2008 को जानकारी में आया, जब अप्रार्थी 'जी' ने कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप करने का प्रयास किया–एडवोकेट से सम्पर्क रखने का पक्षकार का दायित्व है–निर्णीत, बताये गये कारण सद्भावी नहीं है तथा निगरानी काल बाधित है तथा खारिज होने योग्य है।" इन समस्त सिद्धान्तों में विलम्ब को शमन करने के कारणों को आधारहीन मानते हुए अपील को मियाद बाधित माना गया है। अपीलाण्ट द्वारा इस दिनांक को वाद की जानकारी होना बताया है, जो तथ्य सत्य से परे है, क्योंकि वादी को दिनांक 28.07.2004 को ही पक्षकार संयोजित किया जा चुका था, जिन्हे वाद एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेजात् की जानकारी नहीं हो, ऐसा सम्भव नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट द्वारा मात्र अपील को अन्दर मियाद शुमार करने हेतु आधारहीन तथ्यों का सहारा लिया है, जो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन करने का पर्याप्त एवं सन्तोषप्रद कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से भी प्रतिलिपी जारी करने में नियमों का जमकर दुरूपयोग किया गया है। लिहाजा अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज़ किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स की अपील मियाद बाधित होने के कारण सुनवाई योग्य नहीं पाई जाती है।

जिला कलक्टर, पाली

अब गुणावगुण पर प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य एतराज यह रहा कि अपीलाण्ट्स ने जैर अपील विवादित भूमि को अपनी खरीदसुदा पट्टासुदा होना बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को विधि विरूद्ध कथन किया एवं इसी क्रम में नायब तहसीलदार रानी द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा। अपीलाण्ट्स के कथनों के परिप्रेक्ष्य में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम सोमेसर के हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 1.17 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 सड़क की भूमि राजस्व रेकर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 78 गत खसरा नम्बर 86 मि. 85 मि. तथा 108मि0 से मिलकर बने है। गत खसरा नम्बर 85, 86 तथा 108 का क्षैत्रफल कितना था तथा उक्त भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व किस खाते में दर्ज थी। इस बाबत अपीलाण्ट्स द्वारा कोई रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त भूमि पट्टासुदा होना जाहिर किया, जो सिलसिलेवार निष्पादित हुए विक्रय विलेखों से अपीलाण्ट्स को प्राप्त होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पट्टे की आराजी गै0मु0सड़क की होने के कारण पट्टों को अपास्त कराने की कार्यवाही करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानी को निर्देशित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार रानी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात् का परीक्षण करने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रकरण में तहसीलदार रानी द्वारा नौ माह के लम्बे अन्तराल तक प्रतिलिपी जारी नहीं की गई एवं न ही प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र को लम्बित रखने का कोई कारण पत्रावली में दर्शित है। यह स्थिति विकट है, जो न केवल विधि का उल्लंघन है, बल्कि अपीलाण्ट्स को परिसीमा के प्रावधानों का लाभ प्रदान करने हेतु उठाया गया कदम है, जो क्षम्य नहीं है। इस हेतु सम्बन्धित तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर (संस्थापन) पाली को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। इसके अतिरिक्त प्रकरण में राजकीय भूमि पर पट्टे जारी किया जाना भी परिलक्षित हुआ है, इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति, रानी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में मौका जांच कर गै0मु0 सड़क की भूमि पर बनाए गए पट्टो को अपास्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलें सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा नायब तहसीलदार रानी द्वारा प्रकरण संख्या

जिला कलक्टर, पाली

907/2015 सरकार बनाम मुन्नाकंवर, 895/2015 सरकार बनाम जैताराम, 894/2015 सरकार बनाम शिवलाल, 898/2015 बअनवान सरकार बनाम उमाराम, 899/2015 सरकार बनाम रामलाल तथा 897/2015 सरकार बनाम मोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2016 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी तहरीर के साथ श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (संस्थापन) पाली एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। निर्णय की पृथक पृथक प्रतियां पत्रावली के नत्थीबद्ध की जावे। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली